पत्रांक–06/वि० 09–22/2023...320

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

"अनौपचारिक रूप से परामर्शित"

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : 12/01/2026

विषय :– **मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) मध्य विद्यालयों को प्रति मध्य विद्यालय 20,000/–(बीस हजार) रूपये की दर से 32,81,60,000/–(बत्तीस करोड़ इक्कासी लाख साठ हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।**

द्वारा:– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के 38 जिलों में वर्तमान में अवस्थित कुल 28908 राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) मध्य विद्यालयों में से 16408 विद्यालयों को प्रति मध्य विद्यालय 20,000/–(बीस हजार) रूपये की दर से कुल 32,81,60,000/–(बत्तीस करोड़ इक्कासी लाख साठ हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

अंकनीय है कि पी.एम.श्री योजना के तहत कतिपय मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है जिससे मध्य विद्यालयों की संख्या में कमी आई है। ई–शिक्षा कोष पोर्टल से प्राप्त डाटा के अनुसार कुल 28816 मध्य विद्यालय एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) मध्य विद्यालय की संख्या 92 है। अतः वर्तमान में कुल 28908 मध्य विद्यालय है।

मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य विद्यालय के छात्र–छात्राओं को राज्य के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थलों/संग्रहालयों/अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण कराकर उनके शैक्षणिक ज्ञान के दायरे को बढ़ाना है।

2. अंकनीय है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–91 दिनांक–12.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के 38 जिलों के राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) 12,500 विद्यालयों को प्रति मध्य विद्यालय 20,000/–(बीस हजार) रूपये की दर से कुल 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़) रूपये के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्रमशः

3. स्वीकृत राशि 32,81,60,000/—(बत्तीस करोड़ इक्कासी लाख साठ हजार) रूपये के व्यय का विकलन माँग संख्या—21, मुख्य शीर्ष—2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष—01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष—109 छात्रवृतियाँ तथा प्रोत्साहन, उप शीर्ष—0103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण, विषय शीर्ष—0103.13.01 कार्यालय व्यय, विपत्र कोड—21—2202011090103 में उपबंधित राशि से होगा।

4. वित्तीय वर्ष 2025—26 में मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना अन्तर्गत मूल रूप में 25,00,00,000/—(पच्चीस करोड़) रूपये एवं प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से 34,00,00,000/—(चौतीस करोड़) रूपये अर्थात कुल 59,00,00,000/—(उनसठ करोड़) रूपये मात्र का उद्व्यय एवं उपबंध निर्धारित है।

5. योजना के संचालन के क्रम में विभागीय पत्रांक 1190 दिनांक 31.10.2019 एवं पत्रांक—1722 दिनांक—31.08.2022 में दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. संबंधित वित्तीय वर्ष में ही योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। शैक्षणिक भ्रमण हेतु छात्र/छात्राओं के अभिभावकों से सहमति के उपरांत भ्रमण हेतु स्थल का चयन छात्र—छात्राओं की सहमति से किया जायेगा। भ्रमण सामूहिक होगा एवं वाहन पर राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना का बैनर लगाकर किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि के अन्तर्गत विमुक्त की जाने वाली राशि का आवंटनादेश जिलावार मध्य विद्यालय की संख्या एवं राशि संलग्न (अनुलग्नक—1) के आधार पर CFMS/RTGS के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. उक्त आवंटित राशि की निकासी CFMS के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) के द्वारा किया जायेगा।

9. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) संबंधित मध्य विद्यालय से बच्चों को परिभ्रमण करवाने के उपरान्त अभिश्रव के आधार पर BTC-25 पर राशि की निकासी कर संबंधित विद्यालय के बैंक खाता में राशि हस्तांतरित करेंगे।

10. सभी जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) सम्यक जाँचोपरान्त जिले के मध्य विद्यालय के संख्या के आधार पर निर्धारित दर के अनुसार राशि संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति के बैंक खाते में राशि अन्तरित करेंगे। राशि का अन्तरण एवं व्यय में किसी प्रकार की अनियमितता एवं विचलन के लिए सारी जिम्मेवारी संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) की होगी।

11. योजना का क्रियान्वयन विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक, प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

12. राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

13. वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका–3 एवं 5 (ख) (ii) के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा रही है।

14. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 235 दिनांक 01.04.2025 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

15. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. संचिका संख्या–06/वि० 09–22/2023 के पृष्ठ 44/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० 09–22/2023 320 पटना, दिनांक :– 12/01/2026

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/ अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के आप्त सचिव/एसी/डीसी कोषांग, प्राथमिक शिक्षा/वित्त विभाग (योजना एवं बजट), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/बजट शाखा, प्रशाखा–05/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.1.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

Ravi

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना हेतु विपत्र कोड 21–2202011090103 अन्तर्गत जिलावार स्वीकृत राशि की विवरणी।

क्र. स.	जिला	वर्तमान में कुल मध्य विद्यालयों की संख्या	पूर्व में स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	शेष बचे विद्यालयों की संख्या	प्रति मध्य विद्यालय रू० 20,000/– (बीस हजार रूपये) की दर से स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	अररिया	628	264	364	7280000
2	अरवल	207	87	120	2400000
3	औरंगाबाद	1016	429	587	11740000
4	बांका	847	356	491	9820000
5	बेगूसराय	746	313	433	8660000
6	भागलपुर	886	378	508	10160000
7	भोजपुर	820	349	471	9420000
8	बक्सर	468	199	269	5380000
9	दरभंगा	904	383	521	10420000
10	पूर्वी चम्पारण	1295	595	700	14000000
11	गया	1409	600	809	16180000
12	गोपालगंज	685	337	348	6960000
13	जमुई	843	357	486	9720000
14	जहानाबाद	352	147	205	4100000
15	कैमूर	590	248	342	6840000
16	कटिहार	717	302	415	8300000
17	खगड़िया	516	217	299	5980000
18	किशनगंज	592	249	343	6860000
19	लखीसराय	291	122	169	3380000
20	मधेपुरा	735	306	429	8580000

Sm

21	मधुबनी	1007	423	584	11680000
22	मुंगेर	475	201	274	5480000
23	मुजफ्फरपुर	1388	589	799	15980000
24	नालन्दा	830	399	431	8620000
25	नवादा	696	318	378	7560000
26	पटना	1160	540	620	12400000
27	पूर्णियाँ	845	355	490	9800000
28	रोहतास	802	336	466	9320000
29	सहरसा	510	214	296	5920000
30	समस्तीपुर	989	415	574	11480000
31	सारण	1059	462	597	11940000
32	शेखपुरा	234	101	133	2660000
33	शिवहर	186	79	107	2140000
34	सीतामढ़ी	895	376	519	10380000
35	सीवान	878	373	505	10100000
36	सुपौल	622	262	360	7200000
37	वैशाली	962	405	557	11140000
38	प.चम्पारण	823	414	409	8180000
कुल		**28908**	**12500**	**16408**	**328160000**

(बत्तीस करोड़ इक्कासी लाख साठ हजार रूपये)

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।